ज्ञापांक.....217...../गो0(एक्स0एल0)

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–23/12/2018

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)/
सभी समादेष्टा (बी0एम0पी0/एम0एम0पी/महिला बटालियन)/सभी प्राचार्य,
सी0टी0एस0 नाथनगर/सी0टी0एस0 सिमुलतल्ला/
एम0पी0टी0सी0, (डुमराँव) बिहार।

सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक (रेल सहित), बिहार

सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित)

विषयः– विधि–व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हेतु कार्रवाई के संबंध में। दिसम्बर, 2018।

विधि–व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरुप गत माह में मुहर्रम एवं दुर्गापूजा के पर्व शांतिपूर्वक सम्पन्न हुये जिसकी बड़े पैमाने पर प्रशंसा की गई। माह– जुलाई, 2018 के बाद माह–नवम्बर, 2018 तक अपराध के मुख्य शीर्षों में भी कमी होती आ रही है किन्तु अपराधकर्मियों में ये विश्वास बना हुआ है कि वे अपराध कर निकल जा सकते हैं और उन्हें पुलिस नहीं पकड़ सकेगी। फलस्वरुप हत्या एवं कैश लूट की घटनाएं घटित हो रही है, जिसके कारण जन धारणा (Public Perception) यह बन जाती है कि अपराध में वृद्धि हो रही है।

प्रायः सभी महत्वपूर्ण काण्डों में उदभेदन अच्छा हुआ है। किन्तु थाना–स्तर पर अपराध की रोक–थाम की ओर कम ध्यान दिया जाता है। यदि अपराध की रोकथाम की दिशा में थोड़ी भी कार्रवाई की जाय तो अपराध में बहुत बड़ी कमी आयेगी और जन धारणा (Public Perception) भी सुधरेगी। इस दिशा में मैं निम्नांकित बिन्दु उद्धृत करना चाहता हूँ जिस पर आज से ही विशेष ध्यान देकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं इनके क्रियान्वयन की समीक्षा भी करुँगा। अनुपालन नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

1. जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि अपराध नियंत्रण के लिये गश्ती और नाकाबन्दी अपरिहार्य उपाय है किन्तु खेद का विषय है कि रात्रि गश्ती की बात तो दूर दिन में भी नियमित गश्ती नहीं कि जा रही है। फलस्वरुप अपराधी दिन में अपराध करने का साहस कर रहे हैं। मार्च, 2018 में अपराधियों, हथियार, शराब एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की रोकथाम के लिये नाकाबन्दी का सुझाव दिया गया था, इसका भी पालन नहीं किया गया। मैं पुनः आदेश दे रहा हूँ कि तात्कालिक

प्रभाव से जिलों में नाके स्थापित किये जायें जिनपर जिला पुलिस के कम से कम 20 सशस्त्र बल तैनात करें जो 24 घण्टे नाके पर कार्यरत होगें। इसकी नियमित जाँच की जाय। तमाम कार्यालयों में और आवासीय कार्यालयों में जरुरत से ज्यादा संख्या में सिपाही तैनात हैं, यदि इसकी समीक्षा की जाय तो आसानी से नाका स्थापित करने के लिये प्रर्याप्त संख्या में जिला पुलिस के सिपाही उपलब्ध हो जायेंगे। पटना जिला की पुलिस लाईन की दिनांक 02.11.2018 की घटना के बाद रक्षित कार्यालय की समीक्षा से यह बात स्पष्ट हो गई है।

2. विशेष अपराध अनुसंधान इकाईयाँ राज्य के 341 थानों में गठित की जा चुकी है। यथा निर्दिष्ट उनको गंभीर काण्डों का अनुसंधान दिया जाय तथा नियमित मॉनिटरिंग करें कि वे अच्छे गुण स्तर का अनुसंधान करें।

3. पुलिस अधीक्षक के स्तर पर स्पीडी ट्रॉयल पर कम ध्यान दिया जा रहा है। थोड़ा प्रयास करने पर स्पीडी ट्रायल के परिणाम काफी बढाये जा सकते हैं। कई महीने पहले मैंने निर्देश दिया था कि पुलिस अधीक्षक अपने अधीन प्रत्येक थाने से प्रत्येक माह स्पीडी ट्रायल के लिये 01 (एक) काण्ड लें यह काण्ड अच्छा साक्ष्य वाला हो तथा इसका चुनाव थानाध्यक्ष ही करेंगे और उनकी जिम्मेवारी होगी कि वे अवाधित रुप से उस मामले का ट्रायल पूरा करायें। गवाहों की उपस्थिति आदि में आई बाधाओं का निराकरण पुलिस अधीक्षक करेंगे और थानाध्यक्ष के प्रयास की मोनिटरिंग करेंगे। चिन्हित काण्ड एवं उनके निष्पादन की सूचना पुलिस मुख्यालय को भी दी जायेगी।

4. काण्डों का निष्पादन हमारे सभी प्रयासों की परिणति है। इसलिये यथा शीघ्र लंबित काण्डों का निष्पादन किया जाय। किसी भी स्थिति में प्रतिवेदित काण्डों के दो तीन गुणे से अधिक काण्ड अनुसंधान हेतु लंबित नहीं रहने चाहिये। साम्प्रदायिक मामले, महिला अत्याचार, एस0सी0/एस0टी एक्ट से संबंधित मामले तथा पुलिस पर या थाने पर आक्रमण संबंधी मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर अलग कैटेगरी बनाकर किया जाय। यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि अनुसंधान की प्रगति का अनुश्रवण का उत्तरदायित्व संबंधित पुलिस निरीक्षक का होगा।

5. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा काण्ड के पर्यवेक्षण में विलम्ब के कारण अनुसंधान रोका नहीं जायेगा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यथा शीघ्र काण्डों का पर्यवेक्षण करेंगे और किसी भी दिन एक महीने में प्रतिवेदित औसत एस0आर0 काण्डों के आधे से अधिक काण्ड पर्यवेक्षण के लिये लंबित नहीं रहेंगे। अनुपालन नहीं करने वाले अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के कार्य के मूल्यांकण में इस बिन्दु का ध्यान रखा जाय।

6. भ्रष्टाचार एवं मद्यनिषेध में संलिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्व विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ अपराधियों कि तरह प्राथमिकी अंकित की जाय और उनके विरुद्व कठोर कार्रवाई की जाय। विभागीय कार्यवाही में भी त्रुटि के समानुपातिक दण्ड दिया जाय। इसका संचालन पदाधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार सभी ध्यान रखेंगे।

7. अपराध की रोकथाम के लिये अपराधियों के विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की जाय और अपराध नियंत्रण अधिनियम का भी उपयोग किया जाय।

आशा है कि आप उपरोक्त बिन्दुओं की ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुये अपराध की रोक–थाम एवं विधि–व्यवस्था संधारण करने में अपना पूर्ण योगदान करेगें। क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक कृपया अपने स्तर से उपरोक्त बिन्दुओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें एवं नियमित अनुश्रवण करें।

सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सपरिवार क्रिसमश तथा नव वर्ष 2019 की शुभकामनाओं के साथ ।

23/12/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः सभी महानिदेशक/सभी अपर पुलिस महानिदेशक (रेल सहित), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)/विधि–व्यवस्था/विशेष शाखा/ अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
3. आई0टी0मैनेजर, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/12/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

नोट : यह पत्र पुलिस वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।